13-12-24

वकील वादी प्रार्थी बल्लूलाल, फरीकैन SDO द्वारा कार्य स्थगित किया गया
उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन
अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त
पर है। अत: पत्रावली वास्ते पेशी
दिनांक 17/12/24 को पेश हो

17.12.24

वकील वादी प्रार्थी बल्लूलाल, फरीकैन
उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन
अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त
पर है। अत: पत्रावली वास्ते पेशी
दिनांक 20/12/24 को पेश हो

20.12.24

आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार भुसावर रिपोर्ट प्राप्त। हमने प्रा० पत्र व प्रार्थी वकील को सुना गया उन्होंने अवगत कराया गया कि आ०खा०नं० 988 रकबा पक्का 15 बिस्वा का नया नम्बर 1314 रकबा 0.77 है बाके ग्राम भुसावर में स्थित है जिसकी खातेदार प्रार्थी की माता सुनको पत्नी बाबूलाल दर्ज ~~राजस्व~~ रिकार्ड है प्रार्थी की माँ का ~~वर्तमान~~ वर्तमान में स्वर्गवास हो चुका है। जमाबंदी सं. 2036 लगायत 2039 में नाम सही था लेकिन आगे राजस्व रिकार्ड में मां नाम सुनको स्थान पर सुनकी पुत्र बाबूलाल गलत दर्ज हो गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा मां नाम शुद्ध करने बाबत निवेदन किया गया है

इस सम्बन्ध में हमने अप्रार्थी तहसीलदार भुसावर द्वारा रिपोर्ट ली गई। उन्होंने अवगत कराया गया है कि मुताबिक नामा० सं. 1906 के सुनकी पुत्र बाबूलाल के स्थान पर सुनको पत्नि बाबूलाल नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता का व मनन किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार भुसावर द्वारा प्रस्तुत अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

--- लगातार

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मुसावर

नित्यकिशोर बनाम सरकार

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 136 LRA नं० 53/24 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ० ख० नं० 1314 रकबा 0.7700 हे० वाके ग्राम मुसावर प्रथम में प्रार्थी की मां के गलत नाम सुरकी पुत्री बाबूलाल को दुरुस्त कर उसके स्थान पर सही नाम सुरको पत्नी बाबूलाल शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार कार्य हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/- (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी मुसावर (भरतपुर) राज	